न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव सैनी

प्रार्थनापत्र संख्या– 19/23

तारीख रज्जू–12/09/23

1 रामचरण पुत्र सुन्दर उम्र 50 साल जाति बैरवा निवासी बैरवा कोठी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी।
2 रामबिलास पुत्र मिश्रया उम्र 48 साल जाति बैरवा निवासी बैरवा कोठी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी।
3 घनश्याम पुत्र गेन्दया उम्र 48 साल जाति बैरवा निवासी बैरवा कोठी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी।
4 हरीमोहन पुत्र रामबल उम्र 45 साल जाति बैरवा निवासी बैरवा कोठी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी।
5 रामप्रसाद पुत्र मनफूल उम्र 43 साल जाति बैरवा निवासी बैरवा कोठी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी।

——अपीलान्ट

बनाम

1. हरकेश पुत्र जगन जाति बैरवा निवासी तलावड़ा तहसील गंगापुर सिटी।
2. चैयरमेन एडवाईजरी कमेटी तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी।
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा गंगापुर सिटी जरिये प्रबन्धक

–रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. अधिवक्ता मो0इस्लाम खान – प्रार्थी पक्ष
2. अधिवक्ता सतीश कुमार शर्मा – अप्रार्थी सं0 1
3. अधिवक्ता आलोक गोयल – अप्रार्थी सं0 3
4. पेरोकार सरकार – अप्रार्थी सं0 2

निर्णय

दिनांक– 10.12.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अर्न्तगत अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जगन पुत्र गोरधन निवासी तलावड़ा को दिनांक 15/07/65 को ग्राम तलावड़ा में स्थित आराजी खं0नं0 514 में से 8 बीघा भूमि के किये गये आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए भूमि आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी तथा आवंटन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण 1 व 3 जरिये अधिवक्ता व अप्रार्थीगण 2 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया है कि अप्रार्थी के पिता जगन ने एक प्रार्थना पत्र भूमि आवंटन के लिए दिनांक 15.07.1965 को एडवाईजरी कमेटी के समक्ष अपने आपको गोरधन का पुत्र दर्ज करते हुए पेश किया तथा अपनी जाति हरिजन होना दर्ज कर जगन पुत्र गोरधन जाति हरीजन के नाम से भूमि खसरा नम्बर 514 में से 8 बीघा भूमि का आवंटन अपने हक में करवा लिया जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी प्रार्थीगण को उक्त गलत आवंटन कि जानकारी उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से मुकदमा उनवानी हरकेश बनाम रामचरण के नोटिस जाने दिनांक 11.01.19 से जानकारी हुई है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आवंटन एडवाईजरी कमेटी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है। एडवाईजरी कमेटी ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि जगन के पिता का नाम गोरधन नहीं था, जगन के पिता का नाम हाबू था ,लेकिन जगन ने गलत रूप से अपने आपको गोरधन का पुत्र होना अंकित

10/12/24

रते हुए तथा अपनी जाति हरिजन अंकित करते हुए अपने हक में उक्त आवंटन करवाया है जो निरस्त ने योग्य है। एडवाईजरी कमेटी ने इस तथ्य पर भी कतई गौर नहीं फरमाया कि जगन ने फिर दुबारा आवंटन अपने असली पिता के नाम से यानि जगन पुत्र हाबू के नाम से करवाया है। इससे साबित है कि आवंटन दिनांक 15.07.1965 मिसल नम्बर 1319/65 Fradulently तरीके से करवाया है जो निरस्त योग्य है। नामान्तकरण सं0 838 दिनांक 05.06.10 ग्राम पंचायत तलावड़ा के अवलोकन से भी उक्त फर्जीयत पूरी तरह से साबित है ,जिसमें जगन पुत्र हाबू व जगन पुत्र गोरधन के नाम से जो दो आवंटन हुए है उनके दोनों के नामान्तकरण अप्रार्थी सं0 1 के हक में खोले गये है ,जिससे भी उक्त फर्जीयत पूरी तरह से साबित है। वकील प्रार्थी ने आरआरटी 2005 (1) पेज नं0 635, डीएनजे 2024 (1) पेज नं0 5 नजीरे प्रस्तुत करते हुए मिसल नम्बर 1319/65 में पारित निर्णय दिनांक 15.07.1965 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 1 ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत व अवैधानिक रूप से पेश किया है। भूमि आवंटन को लगभग 59 वर्ष हो चुके है तथा प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र पेश किये हुये लगभग 5 वर्ष हुये है अर्थात प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 54 वर्ष पश्चात् प्रार्थी के पिता को आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्त कराने के लिये पेश किया है जबकि उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार अप्रार्थी सं0 1 के पिता को मिल चुके थे। अप्रार्थी सं0 1 के पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा खातेदारी वर्तमान में अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है परन्तु प्रार्थीगण की नियत में खराबी आने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश किया है जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी के पिता जगन के प्राकृतिक पिता हाबू के 6 पुत्र थे, अर्थात जगन के प्राकृतिक पिता का नाम हाबू था तथा जगन के हाबू का पुत्र रहते हुये सुन्दर व जगन पुत्रान हाबू के नाम सन् 1964 में साबिक खसरा नं0 518 में से भूमि आवंटित हूयी थी। उसके बाद अप्रार्थी सं0 1 के पिता जगन गोरधन के यहां गोद चले गये तथा उसके दत्तक पुत्र के रूप में गोरधन की मृत्यु के उपरान्त होने वाले सारे कियाकर्म ,रस्म रिवाज पगडी सब अप्रार्थी सं0 1 के पिता जगन द्वारा ही अदा की गयी तथा जगन के ही गोरधन की पगडी बंधी अर्थात जगन गोरधन के पुत्र के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग करता आ रहा है। अप्रार्थी सं0 1 के पिता जगन के गोरधन के यहां गोद जाने के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रमाण पत्र दिया गया, जिसकी प्रति अप्रार्थी सं0 1 द्वारा न्यायालय में पेश की गयी है। दिनांक 15.07.1965 में अप्रार्थी सं0 1 को भूमि जगन पुत्र गोरधन के नाम से खसरा नं0 514 में आवंटित की गयी जो बिल्कुल सही एवं पूर्ण प्रकिया के तहत प्रार्थीगण की मौजूदगी में भूमि आवंटित हुयी तथा मौके पर अप्रार्थी सं0 1 के पिता जगन को भूमि आवंटन के बाद मौके पर कब्जा दिया गया, जिस पर लगातार पहले अप्रार्थी सं0 1 के पिता तथा वर्तमान में अप्रार्थी सं0 1 मौके पर काबिज काश्त है। भूमि आवंटन के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की जाति कहीं पर चमार कहीं पर हरिजन दर्ज की गयी है जो एक राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण अंकित हुआ है। अप्रार्थी सं0 1 के पिता गोरधन की जाति चमार दर्ज है, जो सही है जाति हरीजन गलत दर्ज की गयी है,साथ ही तकनिकी बिन्दुओं पर 54 साल बाद किसी भी खातेदार की खातेदारी को समाप्त नहीं किया जा सकता । जबकि अप्रार्थी सं0 1 के पिता जगन पुत्र गोरधन को भूमि आवंटन के समय ही इस बात की जानकारी थी कि जगन पुत्र गोरधन को जगन पुत्र गोरधन के नाम से भूमि आवंटन की गयी है। क्योकि उसी समय प्रार्थीगण के बुजुर्गो अर्थात गोरधन के प्राकृतिक भाईयों व उनके सम्बन्धियों को भी भूमि आवंटन किया गया था तथा उक्त आवंटन के संबंध में परिवार व गांव के सभी व्यक्तियों की जानकारी में उक्त भूमि के आवंटन सम्बन्धी तथ्य थे। परन्तु, भूमि आंवटन दिनांक 15.07.1965 से लेकर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने तक आवंटन के बारे में कोई विवाद नही था तथा प्रार्थीगण की नियत में बदलाव होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को उसकी खातेदारी की भूमि वर्तमान खं0न0 1315 रकबा 0.13है0 व 1385 रकबा 1.90 है0 ग्राम तलावडा के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करना प्रारम्भ कर दिया । इसलिये अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर, गंगापुर सिटी में एक मुकदमा पेश किया। जिसको आधार बनाकर उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर श्रीमान् के समक्ष अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी को समाप्त करवाने एवं भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के नियत से पेश कर दिया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस न्यायालय के समक्ष यह बताया गया कि अप्रार्थी सं0 1 के पिता जगन यदि गोरधन के यहां गोद गया है, तो यह कानून के विरूद्ध है क्योकि कानूनन अनुसूचित जाति में वालिग व्यक्ति गोद नहीं जा सकता। परन्तु उक्त तथ्य जो वकील प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष उठाये गये है उनके सन्दर्भ में न्यायालय श्रीमान् द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। क्योंकि अप्रार्थी सं0 1 के पिता जगन का गोद जाना वैध है या अवैध इस तथ्य को तय करने का अधिकार केवल मात्र सिविल

10/12/24

न्यायालय को है। राजस्व न्यायालय अप्रार्थी सं0 1 के पिता जगन के गोद जाने सम्बन्धी तथ्यों के बारे में कोई निर्णय पारित नहीं कर सकता। यदि प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं0 01 के पिता जगन के गोरधन के यहां गोद जाने पर कोई आपत्ति है तो उसके लिये वह सिविल न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है यहां यह भी उल्लेखित करना आवश्यक है कि प्रार्थीगण व उनके बुजुर्गो को भूमि आवंटन के समय से पूर्व ही इस तथ्य की जानकारी थी कि जगन गोरधन के यहां गोद जा चुका है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र अप्रार्थी सं0 1 की भूमि को हडपने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी को जो भूमि आवंटित की गयी है उसमें किसी प्रकार कोई कपट पूर्वक कार्यवाही नहीं की गयी है,साथ ही वकील अप्रार्थी ने आरआरटी 2016–17 (Supp.) पेज नं0 473 ,आरआरटी 2016–17 (Supp.) पेज 304, आरआरटी 2016(2) पेज नं0 769, आरआरटी 2016(2) पेज नं0 756, आरआरटी 2017(2) पेज नं0 972, आरआरटी 2018(2) पेज नं0 1007, आरआरटी 2019 (2) पेज नं0 838 नजीरे प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 3 ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात पर रेवेन्यु रिकॉर्ड के आधार पर जवाबदार बैक द्वारा ऋण को चुकाये बिना अपीलार्थी किसी भी तरह का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है, साथ ही वकील अप्रार्थी सं0 3 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता जगन पुत्र गोरधन निवासी तलावड़ा को दिनांक 15/07/65 को ग्राम तलावड़ा में स्थित आराजी खं0नं0 514 में से 8 बीघा भूमि आवंटित हुई थी तथा सुन्दर, जगन पुत्र हाबू निवासी तलावड़ा जाति हरिजन को दिनांक 04.10.1964 को ग्राम तलावड़ा में स्थित आराजी खं0नं0 518 में से 8 बीघा भूमि आंवटित हुई थी। वकील अप्रार्थी के कथन के अनुसार जगन के हाबू का पुत्र रहते हुये सुन्दर व जगन पुत्रान हाबू के नाम 1964 में साबिक खसरा नं0 518 में से भूमि आंवटित हुयी थी उसके बाद अप्रार्थी सं0 1 के पिता जगन गोरधन के यहां गोद चले गये। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि जगन पुत्र गोरधन व जगन पुत्र हाबू एक ही व्यक्ति है। तत्पश्चात् आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटन पत्रावली में संलग्न आवेदन पत्र में पूर्व में आंवटित भूमि का अंकन नहीं किया हुआ है। जबकि प्रार्थी जगन को दिनांक 04.10.1964 को ग्राम तलावड़ा में स्थित आराजी खं0नं0 518 में से भूमि आवंटित हो चुकी थी। वकील प्रार्थी का यह कथन कि जगन पुत्र हाबू व जगन पुत्र गोरधन के नाम से जो दो आवंटन हुए है उनके दोनों के नामान्तकरण अप्रार्थी सं0 1 के हक में खोले गये है। जिस सन्दर्भ में वकील अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जगन द्वारा जगन पुत्र हाबू एवं जगन पुत्र गोरधन के नाम से दो अलग–अलग भूमि का आवंटन करवायी है। उक्त तथ्यों के आधार पर जगन द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए खं0नं0 514 में से 8 बीघा भूमि दिनांक 15.07.1965 को आवंटित करवा ली है, जबकि जगन को पूर्व में दिनांक 04.10.1964 को भूमि आवंटन हो चुकी थी। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। उक्त नजीरे आरआरटी 2016–2017 (Supp.) पेज 473 में मा0 न्यायालय द्वारा "अपीलान्ट व्यथित व्यक्ति नहीं है। इसलिए अपील खारिज की आवंटन यथावत रखा गया" अंकित किया है। आरआरटी 2016–17 (Supp.) पेज नं0 304 में मा0 न्यायालय द्वारा "प्रार्थना पत्र 38 वर्ष बाद पेश किया इसलिए अपील मय आवंटन बहाल रखा गया है।" आरआरटी 2016 (2) पेज नं0 769 में मा0 न्यायालय द्वारा" प्रार्थना पत्र 24 वर्ष बाद पेश किया प्रकरण में म्याद का प्रावधान नही है किन्तु उपचार शीघ्रता से प्राप्त करना चाहिए विलम्ब 24 वर्ष का अयुक्ति युक्त है आवंटन निरस्तीकरण का आदेश निरस्त किया गया" अंकित किया है। आरआरटी 2016(2) पेज नं0 756 में मा0 न्यायालय द्वारा "14 वर्ष का बिलम्ब वाद प्रार्थना पत्र पेश किया अयुक्ति युक्त बिलम्ब के वाद शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता" अंकित किया है। आरआरटी 2017 (2) पेज नं0 972 में मा0 न्यायालय द्वारा "30 वर्ष पश्चात् निगरानी पेश की तकनीकी आधारों पर आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता" अंकित किया है। आरआरटी 2018 (2) पेज नं0 1007 में मा0 न्यायालय द्वारा "3 वर्ष बाद खातेदारी प्रदत्त करने का अधिकार खातेदारी देने के बाद आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता। आरआरटी 2019 (2) पेज नं0 838 में मा0 न्यायालय द्वारा "40 वर्ष बाद आंवटन को रद्द करना न्याय का मजाक होगा अवैध कब्जे को भूमि के अधिपत्य में होना नहीं माना जा सकता" अंकित किया है। उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर चस्पा नहीं होना प्रतीत होता है, क्योंकि विवादित प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 के पिता जगन

10/12/24

द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए दो पृथक–पृथक आवंटन करवाये गये है, साथ ही अप्रार्थी सं0 1 के पिता ने दूसरा आवंटन कराते समय पूर्व आवंटन का कोई हवाला अपने आवेदन पत्र में नहीं किया है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। आरआरटी 2005 (1) पेज नं0 634 में मा0 न्यायालय द्वारा "आवंटन कपट द्वारा प्राप्त किया– खातेदारी अधिकार प्रदान करने के बाद भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। डीएनजे 2024 (1) पेज नं0 5 में मा0 न्यायालय द्वारा "तात्विक तथ्य को छिपाकर प्राप्त किया गया आवंटन निरस्त किया गया। उक्त नजीरे विवादित प्रकरण में चस्पा होती है। क्योंकि विवादित प्रकरण में भी अप्रार्थी सं0 1 के पिता ने आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पूर्व में आवंटित भूमि का कोई विवरण अंकित नही किया गया है, जबकि अप्रार्थी सं0 1 के पिता को सन् 1964 में भी भूमि आवंटन हुई थी। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 की धारा 14 (4) के अनुसार यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्ध किया गया हो या यदि आवंटी ने आवंटन की शर्तो में किसी शर्ते को भंग किया होतो आवंटन आदेश रद्द किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में भी आवंटन कपट पूर्वक तथा मिथ्याव्यपदेशन द्वारा प्राप्त करना पाया गया है। उक्त सन्दर्भ में न्यायालय हाजा द्वारा आरआरडी 2015 पेज नं0 115 रामभरोसी लाल वगै0 बनाम राजस्व मण्डल वगै0 नजीर का अवलोकन किया गया। उक्त नजीर के अर्न्तगत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल स्पेशल अपील नं0 370/2013 निर्णय दिनांक 27.10.2014 में अनियमित रूप से आवंटन किया तथा कपट द्वारा प्राप्त किया–आवंटन निरस्त किया को सही निरस्त करना अंकित किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र (निगरानी) स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी सं0 1 के पिता जगन पुत्र गोरधन के हक में ग्राम तलावड़ा के खं0नं0 514 मे से किया गया आवंटन दिनांक 15.07.1965 निरस्त किया जाता है तथा आदेश की एक प्रति तहसीलदार तलावड़ा को उक्त आदेश की पालना में राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने हेतु एवं एक प्रति बैक ऑफ बडौदा शाखा गंगापुर सिटी को विवादित आराजीयात पर दिये गये ऋण की वसूली अन्य स्त्रोतों से अप्रार्थी सं0 1 से करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/12/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी